

न्यायालय:-अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

**प्रकरण क्रमांक 22/2014 क्लेम**

**संस्थापित दिनांक 07.03.2014**

1. श्रीमती सोना बाई पत्नी स्व. राकेश कुशवाह उम्र 25 वर्ष, व्यवसाय गृहकार्य।
2. हाकिम पुत्र स्व. राकेश कुशवाह उम्र 5 वर्ष।
3. कु.पूनम पुत्र स्व. राकेश कुशवाह उम्र 3 वर्ष।
4. श्रीमती सीयाबाई पत्नी रामसिंह कुशवाह उम्र 50 वर्ष, व्यवसाय कुछ नहीं।
5. रामसिंह कुशवाह पुत्र स्व. गंगाराम कुशवाह उम्र 52 वर्ष। आवेदक क्रमांक 2 व 3 नावालिग की प्राकृतिक संरक्षक माँ श्रीमती सोना बाई। समस्त निवासीगण ग्राम रसीदपुर थाना बिजौली, हाल निवासी ग्राम धमसा थाना गोहद जिला भिण्ड म0प्र0।

----- आवेदकगण  
एवं

**प्रकरण क्रमांक 23/2014 क्लेम**

**संस्थापित दिनांक 07-03-2014**

1. श्रीमती भगवानदेवी पत्नी स्व. सुनील कुशवाह उम्र 30 वर्ष, व्यवसाय गृहकार्य।
2. कु. पूनम पुत्री स्व. सुनील कुशवाह उम्र 3 वर्ष।
3. कु. रानी पुत्री स्व. सुनील कुशवाह उम्र 6 माह।
4. श्रीमती ढकेली पत्नी रामेश्वर कुशवाह उम्र 54 वर्ष।
5. रामेश्वर कुशवाह पुत्र स्व. ग्याराम कुशवाह उम्र 55 वर्ष। नावालिग आवेदक क्र. 2 व 3 द्वारा प्राकृतिक संरक्षक माँ श्रीमती भगवानदेवी कुशवाह। समस्त निवासीगण ग्राम धमसा थाना गोहद जिला भिण्ड म0प्र0।

----- आवेदकगण

2 प्र0कं0 22/14 क्लेम, 23/14 क्लेम 24/14 क्लेम

एवं

**प्रकरण क मांक 24/2014 क्लेम**

**संस्थापित दिनांक 07-03-2014**

1. श्रीमती शान्ति बाई पत्नी स्व. मुकेश कुशवाह उम्र 21 वर्ष, व्यवसाय गृहकार्य।
2. श्रीमती भागवती पत्नी शेरसिंह कुशवाह उम्र 45 वर्ष।
3. शेरसिंह कुशवाह पुत्र स्व. रामचरण कुशवाह उम्र 50 वर्ष। समस्त निवासीगण ग्राम खुदरपुरा थाना बिजौली जिला ग्वालियर, हाल निवासी ग्राम धमसा थाना गोहद जिला भिण्ड म0प्र0।

----- आवेदकगण

**बनाम**

1. सतपाल सिंह पुत्र श्री रामलखन सिंह निवासी जेल क्वाटर न. 23 जेल लाइन बहोडापुर जिला ग्वालियर म.प्र.। -----**वाहन चालक**
2. महेन्द्रसिंह पुत्र रामेश्वर दयाल धाकड निवासी 508/31 गली न. 6 लक्ष्मण बिहार गुडगांव हरियाणा।

-----**वाहन स्वामी**

3. प्रबंधक नेशनल इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड कार्यालय जयेन्द्रगंज बिजली घर रोड ग्वालियर म.प्र.

-----अनावेदकगण

---

तीनों प्रकरणों के— आवेदकगण द्वारा श्री जी.एस. जी0एस0गुर्जर अधिवक्ता अनावेदक कं0 1, 2 पूर्व से एक पक्षीय।

अनावेदक कं0 3 द्वारा श्री राकेश गुप्ता अधिवक्ता

---

// अधि-निर्णय //

// आज दिनांक 22-7-2015 को घोषित किया गया //

01. आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत तीन अलग अलग याचिकाओं/आवेदनपत्र धारा 166 मोटरयान अधिनियम का निराकरण इस आदेश के द्वारा किया जा रहा है, जो कि क्लेम प्रकरण क्रमांक 22/14 श्रीमती सोनाबाई वि० सतपाल जिसके साथ क्लेम प्र०क० 23/14 भगवानदेवी वि० सतपाल एवं प्र.क्र. 24/14 शांतीबाई वि० सतपाल भी समेकित किये गए गए हैं। जिनमें क्लेम प्रकरण क्रमांक 22/14 मृतक राकेश कुशवाह की मृत्यु मोटरयान दुर्घटना जो कि बुलेरो जीप क्रमांक एच०आर/26आर/ 0625 के द्वारा तथा अन्य प्रकरण 23/14 में मृतक सुनील कुशवाह तथा प्रकरण क्रमांक 24/14 में मृतक मुकेश कुशवाह की उपरोक्त वाहन के उपयोग के दौरान दुर्घटना कारित करने से उनकी मृत्यु होने के फलस्वरूप उनकी पत्नी और वैध वारिसों के द्वारा प्रतिकर दिलाए जाने बावत् पेश किया गया है। तीनों ही प्रकरण समेकित होने से उनका निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

02. उपरोक्त तीनों क्लेम आवेदनपत्रों के संबंध में समान तथ्य इस प्रकार से है कि दिनांक 17.11.13 को रात्रि 11 बजे मृत राकेश कुशवाह अपने जीजा सुनील व साले मुकेश और अपने भाई अर्जुन के साथ बानमोर जिला मुरैना लडकी का संबंध कर के बापस ग्वालियर आ रहे थे। मोटरसाइकिल को सुनील कुशवाह अपनी साइड में धीरे धीरे सावधानीपूर्वक चला रहा था, जैसे ही मोटरसाइकिल ब्रम्हाकापुरा बाईपास तिराहे पर पहुँचे तभी पीछे से अनावेदक क्रमांक 1 ने बुलेरो जीप क्रमांक एच.आर. 26 आर 0625 को तेजी व लापरवाही से चलाकर लाया और मोटरसाइकिल में पीछे से टक्कर मार दी जिससे सुनील कुशवाह की मौके पर ही मृत्यु हो गई तथा राकेश एवं मुकेश को एम्बूलेंस से जे.ए.एच. हॉस्पिटल ग्वालियर लाते समय रास्ते में दोनों की असमायिक मृत्यु हो गई। उपरोक्त दुर्घटना की रिपोर्ट थाना पुरानी छावनी जिला ग्वालियर में की गई थी जिस पर से अपराध क्रमांक 352/13 धारा 304ए भा०दं०वि० के तहत पंजीबद्ध किया जाकर दुर्घटना में लिप्त उक्त बुलेरो जीप को जप्त किया गा तथा अनावेदक क्रमांक 1 के विरुद्ध अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गाय। उक्त बुलेरो जीप को अनावेदक क्रमांक 1 के द्वारा तेजी और लापरवाही से चलाकर दुर्घटना कारित की गई जो कि दुर्घटना दिनांक को अनावेदक क्रमांक 2 उक्त बुलेरो जीप का रजिस्टर्ड स्वामी था तथा अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कम्पनी में उक्त बुलेरो जीप बीमित थी।

क्लेम प्र०क० 22/14 के संबंध में विशिष्ट तथ्य:-

03. आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र संक्षेप में इस प्रकार से है कि दुर्घटना के समय राकेश कुशवाह 31 वर्ष का हृष्टपुष्ट नव युवक होकर आर.सी.सी. की ढलाई

की कारीगरी का काम करता था जिससे वह 15,000/- रूपए मासिक आय अर्जित कर लेता था जिससे वह अपने व अपने परिवार आवेदकगणों का भरण पोषण करता था। उक्त दुर्घटना में उसकी असमायिक मृत्यु हो जाने से आवेदकगण उसकी आय से बंचित हो गए हैं। इसके अतिरिक्त आवेदक क्रमांक 1 जो कि विधवा हो गई है तथा आवेदक क्रमांक 2 व 3 पिता के लाड प्यार से बंचित हो गए हैं, उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं बचा है। ऐसी दशा में विभिन्न मदों में 36,60,000/- रूपए प्रतिकर स्वरूप अनावेदकगणों से दिलाए जाने का निवेदन किया है।

क्लेम प्र0क्रं0 23/14 के संबंध में विशिष्ट तथ्य:-

04. आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र संक्षेप में इस प्रकार से है कि मृतक सुनील दुर्घटना के समय 35 वर्ष का स्वस्थ नवयुवक होकर आर.सी.सी. ढलाई का कारीगरी का काम करता था जिससे वह 15,000/- रूपए मासिक आय अर्जित कर लेता था। आवेदकगण जो कि उसकी पत्नी, पुत्रीगण एवं माता पिता है जो कि उसके वारिस होकर उसकी आमंदनी पर निर्भर थे। दुर्घटना में उसकी असमायिक मृत्यु होने के फलस्वरूप उसकी आई का साधन समाप्त हो गया है तथा उसके लाड-प्यार से भी वह बंचित हो गए हैं और आवेदिका क्रमांक 1 जो कि मृतक की पत्नी है को सहचर्य की हानि हुई है। ऐसी दशा में प्रतिकर स्वरूप 37,10,000/- रूपए विभिन्न मदों में अनावेदकगणों से दिलाए जाने का निवेदन किया है।

क्लेम प्र0क्रं0 24/14 के संबंध में विशिष्ट तथ्य:-

05. आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र संक्षेप में इस प्रकार से है कि मृतक मुकेश कुशवाह दुर्घटना के समय 25 वर्ष का स्वस्थ नवयुवक होकर आर.सी.सी. का काम करता था जिससे वह 15,000/- रूपए मासिक आमंदनी अर्जित कर लेता था जिससे अपने परिवार का भरण पोषण होता था। उसकी असमायिक मृत्यु हो जाने से आवेदिका क्रमांक 1 जो कि उसकी विवाहिता पत्नी है तथा आवेदिका क्रमांक 2 व 3 उसके माता पिता है। उससे मिलने वाली आय से एवं खुशियों एवं लाड-प्यार से भी बंचित हो गए हैं और आवेदिका क्रमांक 1 को सहचर्य की हानि भी हुई है तथा मृतक की मृत्यु पश्चात् अंतिम संस्कार में भी खर्चा हुआ है। ऐसी दशा में विभिन्न मदों में प्रतिकर स्वरूप 29,90,000/- रूपए अनावेदकगणों से दिलाए जाने का निवेदन किया है।

06. उपरोक्त तीनों ही आवेदनपत्रों का अनावेदक क्रमांक 1 व 2 की ओर से कोई जबावदावा पेश नहीं किया गया है।

07. उपरोक्त तीनों ही आवेदनपत्रों का समान रूप से जबाव पेश करते हुए

अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कम्पनी के द्वारा अपने बचाव में आवेदकगण के द्वारा किये गए अभिवचनों को इंकार करते हुए प्रश्नाधीन वाहन बुलेरो जीप क्रमांक एच.आर. 26 आर. 0625 के चालक के द्वारा किसी प्रकार की कोई दुर्घटना कारित करने से इंकार किया है तथा मनगढ़ंत एवं बनावटी और काल्पनिक आधारों पर आवेदनपत्र पेश किया जाना बताया है। आवेदकगण के द्वारा बताई गई आय अर्जन के तथ्य को भी उनके द्वारा इंकार किया गया है। विशेष अभिकथन में उनके द्वारा बताया गया है कि अनावेदक क्रमांक 1 व 2 के द्वारा आवेदकगण से दुरभि संबंध कर आवेदनपत्र पेश किया गया है। इसके अतिरिक्त दुर्घटना दिनांक को प्रश्नाधीन वाहन के चालक के पास वैध एवं प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस न होने से भी बीमा कम्पनी का प्रतिकर अदायगी हेतु कोई दायित्व नहीं है। दुर्घटनाग्रस्त मोटरसाइकिल में चार लोग सवार थे जबकि कुल दो व्यक्तियों के बैठने के लिए होती है। मोटरसाइकिल के स्वामी और बीमा कम्पनी को पक्षकार नहीं बनाया गया है जिससे पक्षकारों के असंयोजन का दोष है। ऐसी दशा में आवेदनपत्र के आधार पर आवेदकगण कोई सहायता प्राप्त करने का अधिकारी न होने से क्लेम आवेदनपत्र निरस्त करने का निवेदन किया है।

08. आवेदकपक्ष एवं अनावेदक पक्ष के अभिवचनों के आधार पर निम्न वाद प्रश्नों की रचना की गयी है जिस पर निकाले गये निष्कर्ष उनके सामने अंकित किये जा रहे हैं –

### **प्रकरण क्रमांक 22/14 क्लेम**

क्र0	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
1	क्या दिनांक 17.11.13 को रात्रि करीब 11:00 बजे ब्रह्मा का पुरा बाई पास तिराहा रोड थाना पुरानी छावनी ग्वालियर में अनावेदक क्रमांक 1 के द्वारा वाहन बुलेरो जीप क्रमांक एच.आर. 26 आर. 0625 को तेजी व लापरवाही से चलाकर मृतक राकेश कुशवाह को टक्कर मारकर उसकी मृत्यु कारित की?	
2	क्या मृतक राकेश कारीगरी एवं ढलाई का काम कर पंद्रह हजार रुपए मासिक आय अर्जित कर लेता था?	
3	क्या प्रकरण में आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन का दोष है?	

4	क्या प्रश्नाधीन वाहन बुलेरो बीमा पॉलिसी एवं मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन कर चलाई जा रही थी? यदि हाँ तो प्रभाव?	
5	क्या आवेदकगण क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं? यदि हाँ तो किससे व कितना कितना?	
6	सहायता एवं व्यय?	

**प्रकरण क्रमांक 23/14 क्लेम**

क्र०	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
1	क्या दिनांक 17.11.13 को रात्रि करीब 11:00 बजे ब्रह्मा का पुरा बाई पास तिराहा रोड थाना पुरानी छावनी ग्वालियर में अनावेदक क्रमांक 1 के द्वारा वाहन बुलेरो जीप क्रमांक एच.आर. 26 आर. 0625 को तेजी व लापरवाही से चलाकर मृतक सुनील कुशवाह को टक्कर मारकर उसकी मृत्यु कारित की?	
2	क्या मृतक सुनील कारीगरी एवं ढलाई का काम कर पंद्रह हजार रूपए मासिक आय अर्जित कर लेता था?	
3	क्या प्रकरण में आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन का दोष है?	
4	क्या प्रश्नाधीन वाहन बुलेरो बीमा पॉलिसी एवं मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन कर चलाई जा रही थी? यदि हाँ तो प्रभाव?	

5	क्या आवेदकगण क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं? यदि हाँ तो किससे व कितना कितना?	
6	सहायता एवं व्यय?	

**प्रकरण क्रमांक 24/14 क्लेम**

क्र0	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
1	क्या दिनांक 17.11.13 को रात्रि करीब 11:00 बजे ब्रह्मा का पुरा बाई पास तिराहा रोड थाना पुरानी छावनी ग्वालियर में अनावेदक क्रमांक 1 के द्वारा वाहन बुलेरो जीप क्रमांक एच.आर. 26 आर. 0625 को तेजी व लापरवाही से चलाकर मृतक मुकेश कुशवाह को टक्कर मारकर उसकी मृत्यु कारित की?	
2	क्या मृतक मुकेश कारीगरी एवं ढलाई का काम कर पंद्रह हजार रुपए मासिक आय अर्जित कर लेता था?	
3	क्या प्रकरण में आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन का दोष है?	
4	क्या प्रश्नाधीन वाहन बुलेरो बीमा पॉलिसी एवं मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन कर चलाई जा रही थी? यदि हाँ तो प्रभाव?	
5	क्या आवेदकगण क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं? यदि हाँ तो किससे व कितना कितना?	
6	सहायता एवं व्यय?	

## // निष्कर्ष के आधार //

क्लेम प्र0कं0 22/14, 23/14 एवं 24/14 क्लेम के बिन्दु क. 1 :-

09. उपरोक्त तीनों ही क्लेम प्रकरणों के आवेदनपत्रों में किए गए अभिवचन जो कि एक ही घटना से संबंधित है। यह अभिवचन किये गये है कि दिनांक 17.11.13 को जब बानमौर जिला मुरैना से लडकी का संबंध कर के बापस अपने गाँव एक ही मोटरसाइकिल से आ रहे थे। मोटरसाइकिल को सुनील कुशवाह अपने हाथ की तरफ धीरे धीरे सावधानी पूर्वक चला रहा था जैसे ही ब्रम्हाकापुरा बाईपास तिराहा रोड पर पहुँचे तभी बुलेरो जीप क्रमांक एच. आर. 26 आर. 0625 के चालक के द्वारा उक्त वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाकर मोटरसाइकिल में पीछे से टक्कर मार दी जिसमें कि सुनील कुशवाह की मौके पर ही मृत्यु हो गई और राकेश तथा मुकेश जिन्हें कि एम्बूलेंस से जे.ए.एच. हॉस्पिटल ग्वालियर ले जाते समय रास्ते में दोनों की मृत्यु हो गई। उक्त दुर्घटना की रिपोर्ट अर्जुन कुशवाह के द्वारा थाना पुरानी छावनी जिला ग्वालियर में दर्ज कराई गई जिस पर से अपराध क्रमांक 352/2013 धारा 304ए भा0दं0वि0 के तहत कायम किया गया।

10. क्लेम प्रकरण क्रमांक 22/14 की आवेदिका सोनाबाई एवं क्लेम प्रकरण 23/14 की आवेदिका भगवानदेवी एवं क्लेम प्रकरण क्रमांक 24/14 की आवेदिका शांति कुशवाह के द्वारा भी अपने शपथपत्र साक्ष्य कथन में आवेदनपत्र में किए गए उपरोक्त अभिवचन का समर्थन करते हुए बुलेरो जीप का क्रमांक एच.आर. 26 आर. 0625 के चालक के द्वारा तेजी और लापरवाही से चलाकर मोटरसाइकिल को पीछे से टक्कर मारने और जिसके फलस्वरूप आई हुई चोटों से उनके पति राकेश, सुनील और मुकेश की मृत्यु हो जाना बताया है।

11. आवेदिक पक्ष के द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त साक्षियों के साक्ष्य कथन का इस संबंध में जहाँ तक प्रश्न है, प्रतिपरीक्षण में उनके द्वारा स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है कि वह घटना के समय घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे व उनके सामने कोई घटना घटित नहीं हुई और ना ही उन्होंने कोई घटना घटित होने देखी। उक्त साक्षियों को साक्षी अर्जुन के द्वारा जो कि घटना के समय दुर्घटनाग्रस्त मोटरसाइकिल में बैठा हुआ बताया गया है के द्वारा वाहन बुलेरो का नम्बर उन्हें बताया गया है जैसा कि साक्षियों के प्रतिपरीक्षण में आए हुए कथन से स्पष्ट होता है। इस प्रकार उक्त साक्षीगण घटना के न तो चक्षुदर्शी साक्षी है और न ही उन्होंने दुर्घटना कारित करने वाले वाहन को या उसके चालक को देखा है। इस बिन्दु पर मात्र सुने सुनाए साक्षी है। उनके कथन के आधार पर प्रश्नाधीन वाहन बुलेरो के द्वारा दुर्घटना कारित किए जाने के संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।



12. घटना के संबंध में घटना के महत्वपूर्ण साक्षी अर्जुन आवेदक साक्षी क्रमांक 2 ने अपने साक्ष्य कथन में बताया है कि दिनांक 17.11.13 को वह राकेश, मुकेश और सुनील के साथ मोटरसाइकिल से बानमौर जिला मुरैना से लडकी का संबंध कर के बापस रास्ते में करीब 11 बजे लौट रहे थे। जैसे ही ब्रम्हाकापुरा बाईपास तिराहे पर पहुँचे आरोपी सतपालसिंह के द्वारा बुलेरो जीप क्रमांक एच.आर. 26 आर. 0625 को काफी तेजी और लापरवाही से चलकार लाया और मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी जिससे कि सुनील की मृत्यु हो गई तथा मुकेश और राकेश को जे.ए.एच. हॉस्पिटल ले जाया गया जहाँ उनकी मृत्यु हो गई। घटना में वह भी घायल हो गया था। घटना की रिपोर्ट उसने थाना पुरानी छावनी ग्वालियर में की थी।

13. आवेदक पक्ष के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों जिसमें कि देहातीनालसी प्र.पी. 1 एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 2 के दस्तावेज का जहाँ तक प्रश्न है। घटना की देहातीनालसी रिपोर्ट प्र.पी. 1 वर्तमान साक्षी अर्जुन कुशवाह के द्वारा लेखबद्ध कराई गई और उसके आधार पर थाना पुरानी छावनी ग्वालियर में प्र.पी. 2 की प्रथम सूचना रिपोर्ट 352/13 दर्ज की गई है। उक्त दस्तावेज स्वयं आवेदक पक्ष के द्वारा पेश किए गए हैं। साक्षी अर्जुन जो कि घटना स्थल पर ही मौजूद होना और घटना का आहत होना बता रहा है एवं जिसके द्वारा प्र.पी. 1 की रिपोर्ट लिखाई जानी स्वीकार की है। प्रतिपरीक्षण कंडिका 2 में उसके द्वारा यह बताया गया है कि घटना के संबंध में उसने प्र.पी. 1 की रिपोर्ट जैसी बोली थी पुलिस ने वैसी ही रिपोर्ट लिखी है और फिर उसने रिपोर्ट प्र.पी. 1 पर हस्ताक्षर किए थे। प्र.पी. 1 की रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख आया है कि किसी अज्ञात वाहन के चालक के द्वारा पीछे से मोटरसाइकिल में टक्कर मारी गई। वाहन के प्रकार, रंग रूप आदि का कोई भी उल्लेख प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं है।

14. इस संबंध में यह महत्वपूर्ण है कि साक्षी अर्जुन न्यायालय में हुए कथन में वाहन जिसके द्वारा दुर्घटना कारित की गई थी बुलेरो जीप होना और उसका क्रमांक भी बता रहा है और उसके चालक का नाम भी बता रहा है। जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट में किसी अज्ञात वाहन के द्वारा पीछे से आकर मोटरसाइकिल में टक्कर मारने का उल्लेख आया है। प्रतिपरीक्षण कंडिका 3 में साक्षी अर्जुन के द्वारा यह बताया गया है कि जिस वाहन से टक्कर हुई थी उसका नम्बर उसने प्र.पी. 1 की रिपोर्ट में लिखा दिया था यदि उसमें न लिखा हो तो वह कारण नहीं बता सकता। यह स्पष्ट है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में कहीं भी वाहन के नम्बर या प्रकार का कोई उल्लेख नहीं है। निश्चित तौर से यदि उसे वाहन के नम्बर या प्रकार आदि की जानकारी होती तो वह प्रथम सूचना रिपोर्ट में उसका वर्णन अवश्य करता। साक्षी के द्वारा इस बात को स्वीकार किया है कि टक्कर पीछे से लगी थी और यह भी स्वीकार किया है कि

पीछे वाले वाहन या व्यक्ति को नहीं देखा जा सकता तथा कंडिका 3 में यह बताया है कि टक्कर मारने वाला टक्कर देकर भाग गया और वे लोग गिर गए। उक्त तथ्य भी इस बात को दर्शाते हैं कि टक्कर पीछे से लगी है और टक्कर मारने वाला वाहन टक्कर मारकर भाग गया था। ऐसी दशा में वाहन को साक्षी के द्वारा देखा जाना अथवा उसका नम्बर नोट कर लिया गया हो ऐसा आई हुई साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में कदापि संभव नहीं लगता है। यदि साक्षी को उसी समय वाहन के नम्बर आदि के बारे में पता चल गया था तो उसके द्वारा रिपोर्ट लिखाते समय उक्त तथ्य क्यों छिपाया गया यह भी उल्लेखनीय है।

15. इस प्रकार साक्षी अर्जुन के समग्र कथन के उपरांत यह स्पष्ट होता है कि पीछे से किसी वाहन के द्वारा टक्कर मारी गई। वाहन टक्कर मारकर भाग गया। वाहन के नम्बर और प्रकार का कोई भी उल्लेख उसके द्वारा घटना के संबंध में दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 1 में कहीं भी नहीं बताया गया है। इस प्रकार इस महत्वपूर्ण बिन्दु पर साक्षी के कथनों में गंभीर प्रकार का लोप आया है जिससे कि उसकी इस संबंध में विश्वसनीयता पूर्ण रूप से प्रभावित होती है। इस परिप्रेक्ष्य में उक्त साक्षी के द्वारा वास्तव में वाहन बुलेरो क्रमांक एच.आर. 26 आर. 0625 के चालक को मौके पर तेजी व लापरवाही से जीप को चलाते हुए लेकर आना और उसी तेजी व लापरवाही से पीछे से मोटरसाइकिल में टक्कर मारकर दुर्घटना कारित करने के संबंध में उसके द्वारा मुख्य परीक्षण में किए गए कथन के आधार पर प्रश्नाधीन वाहन के द्वारा ही दुर्घटना कारित करने के संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।

16. यद्यपि यह सत्य है कि मोटरयान दुर्घटना के प्रकरणों में दांडिक प्रकरणों की भाँति यह आवश्यक नहीं है कि अधिकरण के समक्ष संदेह से परे किसी तथ्य को प्रमाणित किया जाए। वास्तव में दुर्घटना घटित होने की संभावनाएं एवं साक्ष्य प्रवलता पर विचार किया जाता है। जैसा कि इस संबंध में उपरोक्त बिन्दु पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा **विमलादेवी बगैरह वि० हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन बगैरह ए.आई.आर 2009 एस.सी. 2819** में यह अभिधारित किया गया है कि मोटरयान दुर्घटना के केसों में साक्ष्य के कठोर सबूत का नियम लागू नहीं होता है। किन्तु आवेदक पक्ष को प्रारंभिक तौर से यह प्रमाणित करना आवश्यक है कि क्या वास्तव में दुर्घटना उस वाहन के चालक की तेजी व लापरवाही से हुई जिससे कि दुर्घटना घटित होना अभिकथित किया जा रहा है।

17. आवेदक पक्ष के द्वारा साक्षी अर्जुन के अतिरिक्त अन्य किसी भी साक्षी जो कि घटना के समय घटनास्थल पर या उसके पास मौजूद होना बताया गया है का कोई साक्ष्य

नहीं कराये गए हैं। साक्षी अर्जुन के कथन के आधार पर प्रश्नाधीन बुलेरो वाहन के ही घटना में लिप्त होने अथवा उसके चालक के द्वारा ही दुर्घटना कारित करने के संबंध में कोई भी तथ्य प्रमाणित होना माना जाना सुरक्षित नहीं है। आवेदक पक्ष के द्वारा अपने तर्क में यह व्यक्त किया है कि प्रकरण में विवेचना की कार्यवाही के दौरान प्रश्नाधीन वाहन बुलेरो को घटना में लिप्त होने का तथ्य पाया गया है और इसी आधार पर वाहन की जप्ती की गई है और अनावेदक चालक को गिरफ्तार किया गया है तथा वाहन को उसके स्वामी के द्वारा सुपुर्दगी नामे पर लिया गया है और विवेचना उपरांत अभियोगपत्र न्यायालय में अनावेदक क्रमांक 1 के विरुद्ध पेश किया गया है।

18. उपरोक्त संबंध में यद्यपि यह सत्य है कि प्रकरण में विवेचना की कार्यवाही उपरांत अनावेदक क्रमांक 1 के विरुद्ध प्र.पी. 11 का अभियोगपत्र अंतर्गत धारा 304ए भा0दं0वि0 का पेश किया गया है। प्रश्नाधीन वाहन को प्र.पी. 10 के अनुसार उसके स्वामी के द्वारा सुपुर्दगीनामा पर भी लिया गया है। वाहन की जप्ती प्र.पी. 3 के अनुसार की गई है और अनावेदक क्रमांक 1 की गिरफ्तारी प्र.पी. 5 के अनुसार की गई है, किन्तु इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि उक्त घटना जो कि दिनांक 17.11.2013 की किसी अज्ञात वाहन के द्वारा घटित होना प्रथम सूचना रिपोर्ट में बताई गई है। घटना के 10 दिवस पश्चात् आरोपी के द्वारा पेश करने पर सम्पत्ति की जप्ती की जानी तथा आरोपी के थाने में ही उपस्थिति होने पर उसकी गिरफ्तारी प्र.पी. 5 के अनुसार की जानी बताई जा रही है। घटना में प्रश्नाधीन वाहन के संलग्न होने का तथ्य किन आधारों पर पाया गया, इस संबंध में विवेचना अधिकारी जो कि इस बिन्दु पर एक अच्छा साक्षी हो सकता था उसके कथन आवेदक पक्ष के द्वारा कराया जा सकता था जो कि वाहन के घटना में लिप्त होने के तथ्य को बता सकता था। उसका कथन नहीं कराया गया है। ऐसी दशा में किसी प्रकार से अज्ञात वाहन के स्थान पर प्रश्नाधीन वाहन को घटना में संलिप्त किया गया है यह तथ्य भी स्पष्ट नहीं होता है।

19. उपरोक्त संबंध में अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कम्पनी के द्वारा कम्पनी के विधिक अधिकारी अभिनाष गवरे अनावेदक क्रमांक 3 के साक्षी क्रमांक 1 का कथन कराए गए हैं। जिनके द्वारा अपने साक्ष्य कथन में यह बताया गया है कि घटना की रिपोर्ट पुलिस में की जाते समय अज्ञात वाहन के खिलाफ दुर्घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। उस समय उनकी कम्पनी में बीमित वाहन का कोई उल्लेख नहीं किया गया है तथा मैकेनिकल रिपोर्ट में भी वाहन में कोई खराबी नहीं पाई गई है। वाहन को आवेदक पक्ष के द्वारा अनावेदक क्रमांक 1 व 2 के साथ दुरभि संधि कर बाद में जप्त किया गया है। निश्चित तौर से अनावेदक साक्षी जो कि दस्तावेजों के आधार पर उक्त तथ्य बता रहा है उसके कथनों के परिप्रेक्ष्य में इस बात की

संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि किसी अज्ञात वाहन से मोटरसाइकिल की टक्कर हुई हो जिसमें कि बाद में क्लेम पाने के उद्देश्य से प्रश्नाधीन वाहन को बीमित होने के कारण आलिप्त कर दिया गया हो।

20. उपरोक्त संबंध में आवेदक क्रमांक 3 बीमा कम्पनी के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में मुख्य रूप से यह आधार लिया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में वाहन के नम्बर अंकित नहीं है। इस आधार पर जबकि वाहन के नम्बर के संबंध में अज्ञात वाहन के द्वारा घटना घटित होना बताई जा रही है। तथा संबंधित वाहन के चालक और स्वामी के भी कोई कथन नहीं कराए गए हैं। ऐसी दशा में प्रश्नाधीन वाहन से किसी प्रकार की कोई दुर्घटना घटित होना प्रमाणित नहीं माना जा सकता। इस बिन्दु पर बीमा कम्पनी की ओर से **श्री ओमप्रकाश नायर वि० नेशनल प्रोडक्टवीटी कॉसिन ए.आई.आर. 2000 दिल्ली 298, 2009(2) ए.सी.सी.डी. 792 यूनाइटेड इंडिया इश्योरेंस वि० लख्खाबाई कोलाबाई बगै.** पेश किये गये हैं। निश्चित तौर से उक्त न्यायदृष्टांतो के परिप्रेक्ष्य में भी जबकि अज्ञात वाहन के द्वारा घटना घटित होना बताया जा रहा है। प्रश्नाधीन वाहन से किसी प्रकार की घटना घटित होना प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

21. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में यद्यपि मृतकों राकेश, मुकेश एवं सुनील की मृत्यु दुर्घटना में होने का तथ्य प्रमाणित है, किन्तु उक्त दुर्घटना वाहन बुलेरो क्रमांक एच.आर. 26 आर. 0625 के चालक के द्वारा तेजी व लापरवाही से चलाकर मोटरसाइकिल में टक्कर मारकर कारित की गई है, यह तथ्य प्रमाणित नहीं होता है। तदनुसार वर्तमान बिन्दु का निराकरण किया जाता है।

### **क्लेम प्र०क० 22/14 का बिन्दु क. 2 :-**

22. क्लेम प्रकरण क्रमांक 22/2014 की आवेदिका सोनाबाई के द्वारा कथन में यह बताया गया है कि दुर्घटना के समय उसके पति आर.सी.सी. ढलाई का काम कर के पंद्रह हजार रुपए मासिक आय अर्जित कर लेते थे। प्रतिपरीक्षण में उसके द्वारा बताया गया है कि उसके पति राकेश बिकलांग थे। उक्त साक्षी अपने को इंदौर में काम करना बता रही है, किन्तु इंदौर में कहाँ वह काम करता था इस बारे में जानकारी नहीं है। 6 महीने में 15-20 हजार रुपए वह घर दे जाते थे। वह कितने दिन मजदूरी करता था इस बारे में वह कोई जानकारी न होना बता रही है। इस प्रकार साक्षिया के कथन के आधार पर जबकि मृतक राकेश की आमदनी के संबंध में कोई भी दस्तावेजी प्रमाण पेश नहीं है। आर.सी.सी. की ढलाई का काम करना और ढलाई के काम से 15-20 हजार रुपए प्रति माह आय अर्जित कर लेने का तथ्य प्रमाणित नहीं होता है। तदनुसार वर्तमान बिन्दु अप्रमाणित रहता है।

### **क्लेम प्र0क0 23/14 का बिन्दु क. 2 :-**

23. क्लेम प्रकरण क्रमांक 23/2014 की आवेदिका भगवानदेवी के द्वारा कथन में यह बताया गया है उसके पति सुनील आर.सी.सी. ढलाई का काम कर पंद्रह हजार रुपए मासिक आय प्राप्त कर लेना अपने मुख्य परीक्षण में बताई है। किन्तु प्रतिपरीक्षण में वह यह नहीं बता पाई है कि वह कितने दिन काम करता था। उसके काम करने के संबंध में लिखापट्टी या पैसा मिलने के संबंध में कोई भी कागजात पेश नहीं किए गए हैं, जिससे कि पांच सौ रुपए प्रतिदिन वह कमा लेता था इस तथ्य की कोई पुष्टि होती हो। ऐसी दशा में मृतक के आर.सी.सी. की ढलाई का काम करना और ढलाई के काम से 15 हजार रुपए प्रति माह आय अर्जित कर लेने का तथ्य प्रमाणित नहीं होता है। तदनसार वर्तमान बिन्दु अप्रमाणित रहता है।

### **क्लेम प्र0क0 24/14 का बिन्दु क. 2 :-**

24. क्लेम प्रकरण क्रमांक 24/2014 की आवेदिका शांती बाई के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में यह बताया गया है उसके पति मुकेश आर.सी.सी. ढलाई का काम इन्दौर में करना बता रही है। किन्तु किस प्रकार से काम करता था और कितने रुपए प्रतिदिन कमाता था इसकी कोई जानकारी उसे नहीं है। आमंदनी के संबंध में कोई भी लिखापट्टी उस संबंध में दस्तावेज उसके द्वारा पेश नहीं किए गए हैं। पति के द्वारा इन्दौर में मजदूरी करना वह बता रही है तथा आर.सी.सी. की ढलाई का कमा करने से वह प्रतिपरीक्षण में इंकार कर रही है। इस प्रकार मृतक के आर.सी.सी. की ढलाई का काम करना और ढलाई के काम से 15 हजार रुपए प्रति माह आय अर्जित कर लेने का तथ्य प्रमाणित नहीं होता है। तदनसार वर्तमान बिन्दु अप्रमाणित रहता है।

### **तीनो क्लेम प्रकरणों के बिन्दु क. 3 :-**

25. वर्तमान बिन्दु के संबंध में अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कम्पनी के द्वारा यह आधार लिया गया है कि मोटरसाइकिल जो कि दो व्यक्तियों के बैठने के लिए है उसमें चार सवारियाँ बैठी हुई थी। ऐसी दशा में मोटरसाइकिल के स्वामी व बीमा कम्पनी प्रकरण में आवश्यक पक्षकार है। प्रकरण में पक्षकारों के असंयोजन का दोष है।

26. उपरोक्त संबंध में बीमा कम्पनी के द्वारा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है। मात्र इस आधार पर कि मोटरसाइकिल पर निर्धारित संख्या से अधिक सवारियाँ बैठी हुई है। मोटरसाइकिल जो कि तृतीय पक्ष के रूप में है उसके स्वामी या बीमा कम्पनी को प्रकरण में पक्षकार बनाया जाना अथवा उनके आवश्यक पक्षकार होना मान्य नहीं किया जा सकता।

तदनुसार प्रकरण में पक्षकारों के असंयोजन का दोष होना नहीं माना जा सकता।

#### **तीनों क्लेम प्रकरण के बिन्दु क. 4 :-**

27. वर्तमान बिन्दु को प्रमाणित करने का भार अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कम्पनी पर है, जिसके द्वारा यह आधार लिया गया है कि प्रश्नाधीन बुलेरो जीप बीमा पॉलिसी व मोटरयान अधिनियम के नियमों का उल्लंघन कर चलाई जा रही है, किन्तु उपरोक्त बिन्दु पर अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कम्पनी के द्वारा कोई भी साक्ष्य पेश नहीं किया गया है जिससे कि प्रश्नाधीन वाहन बुलेरो बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन कर या मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों का उल्लेखन करते हुए चलाया जाना प्रमाणित हो। तदनुसार वर्तमान बिन्दु का निराकरण कर उत्तर "नहीं" में दिया जाता है।

#### **क्लेम प्र0क0 22/14 का बिन्दु क. 5 :-**

28. मृतक राकेश कुशवाह की मृत्यु मोटरयान दुर्घटना जो कि किसी अज्ञात वाहन के टक्कर मारने के फलस्वरूप होना बिन्दु क्रमांक 1 पर निकाले गए निष्कर्ष में पाया गया है। उसकी मृत्यु किसी मोटरयान दुर्घटना में होने से प्रतिकर की राशि निर्धारित की जानी उचित होगी। यद्यपि उसके दायित्वों प्रश्न अलग प्रश्न है।

29. मृतक राकेश की मृत्यु के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली प्रतिकर की राशि का जहाँ तक प्रश्न है। आवेदिका क्रमांक 1 मृतक की विधवा पत्नी और आवेदक क्रमांक 2 व 3 नावालिंग पुत्र व पुत्री है एवं आवेदिका क्रमांक 4 मृतक की माँ एवं आवेदक क्रमांक 5 मृतक का पिता है। मृतक पर आश्रितों का जहाँ तक प्रश्न है, मृतक पर उसकी विधवा पत्नी, पुत्र व पुत्री एवं माँ आश्रित होनी मानी जा सकती है। किन्तु पिता जो कि 52 साल के है वह किस प्रकार से मृतक पर आश्रित थे इस आशय का कोई साक्ष्य नहीं है। ऐसी दशा में पिता आवेदक क्रमांक 5 को मृतक पर आश्रित होना नहीं माना जा सकता। इस प्रकार मृतक के वारिसों में उसकी पत्नी आवेदिका क्रमांक 1, नावालिंग पुत्र व पुत्री आवेदिका क्रमांक 2 व 3 एवं उसकी माँ आवेदिका क्रमांक 4 मानी जाएगी।

30. दुर्घटना के समय मृतक राकेश की उम्र का जहाँ तक प्रश्न है। आवेदिका सोना बाई ने उसकी उम्र दुर्घटना के समय 31 साल की होनी बताई है। उम्र के संबंध में कोई दस्तावेजी प्रमाण पेश नहीं है। इस संबंध में मृतक की मृत्यु के पश्चात् जो पंचायतनामा प्र.पी. 6 बनाया गया है तथा शव परीक्षण प्रतिवेदन में मृतक राकेश की उम्र 32 वर्ष की होने का उल्लेख है। ऐसी दशा में जबकि उम्र के संबंध में कोई दस्तावेजी प्रमाण पेश नहीं है। स्वयं आवेदक पक्ष के द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त दस्तावेजों के आधार पर मृतक की उम्र मृत्यु के समय

32 वर्ष की होनी अवधारित की जाती है।

32. मृतक राकेश की दुर्घटना के समय आमंदनी का जहाँ तक प्रश्न है। इस संबंध में बिन्दु क्रमांक 2 पर निकाले गए निष्कर्ष से उसकी आमंदनी आवेदक पक्ष के द्वारा 15,000/- रूपए मासिक होनी बताई गई थी वह प्रमाणित नहीं है। मृतक की कोई निश्चित आमंदनी का स्रोत अथवा आमंदनी का तथ्य प्रमाणित नहीं है। किन्तु निश्चित तौर से मृतक जो कि नवयुवक है, मजदूरी आदि कर के आमंदनी अर्जित कर सकता था जो कि 3200/- रूपए प्रति माह की आमंदनी वह अर्जित कर सकता था ऐसा माना जा सकता है। मृतक पर आश्रितों की संख्या चार है। इस परिप्रेक्ष्य में अपनी आमंदनी का  $1/4$  भाग स्वयं पर व्यय करेगा, माना जा सकता है। इस प्रकार आमंदनी के नुकसान के मद में  $3200 \times 1/4 = 800/-$  रूपए यानी  $3200 - 800 = 2400/-$  रूपए प्रतिमाह जो कि प्रति वर्ष  $2400 \times 12 = 28,800/-$  रूपए होगा। जिस पर मृतक की उम्र के अनुसार जो कि 32 वर्ष की होनी दुर्घटना के समय पाई गई है। उक्त राशि में 16 का गुणांक लगेगा। जो कि कुल राशि  $28,800 \times 16 = 4,60,800/-$  रूपए होगा। इसके अतिरिक्त अंतिम संस्कार के खर्च के रूप में 20,000/- रूपए तथा आवेदिका क्रमांक 1 जिसके कि पति की मृत्यु हुई है उसे सहचर्य के नुकसान के मद में 50,000/- रूपए प्रतिकर स्वरूप दिलाया जाना उचित होगा। इस प्रकार कुल प्रतिकर की राशि 5,30,800/- रूपए निर्धारित की जाती है।

1. जहाँ तक उपरोक्त निर्धारित की गए प्रतिकर की राशि की अदायगी का प्रश्न है। वादप्रश्न क्रमांक 1 पर निकाले गए निष्कर्ष के आधार पर दुर्घटना प्रश्नाधीन वाहन बुलेरो जीप क्रमांक एच.आर. 26 आर. 0625 से होनी प्रमाणित नहीं पाई गई है, बल्कि किसी अज्ञात वाहन से दुर्घटना घटित हुई है। ऐसी दशा में उक्त बुलेरो जीप के चालक, मालिक अथवा बीमा कम्पनी पर प्रतिकर अदायगी का कोई दायित्व नहीं डाला जा सकता। उक्त परिप्रेक्ष्य में आवेदकगण वर्तमान अनावेदकगण से कोई भी प्रतिकर की राशि प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। तदनुसार प्रतिकर की राशि 5,30,800/- निर्धारित की जाती है, किन्तु उसे अदा करने का दायित्व अनावेदकगण का होना न पाए जाने से उनसे प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा। तदनुसार वर्तमान बिन्दु का निराकरण किया जाता है।

### **क्लेम प्र0क0 23/14 का बिन्दु क. 5 :-**

33. मृतक सुनील कुशवाह की मृत्यु मोटरयान दुर्घटना जो कि किसी अज्ञात वाहन के टक्कर मारने के फलस्वरूप होना बिन्दु क्रमांक 1 पर निकाले गए निष्कर्ष में पाया गया है। उसकी मृत्यु किसी मोटरयान दुर्घटना में होने से प्रतिकर की राशि निर्धारित की जानी उचित होगी। यद्यपि उसके दायित्वों प्रश्न अलग प्रश्न है।

34. मृतक सुनील की मृत्यु के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली प्रतिकर की राशि का जहाँ तक प्रश्न है। आवेदिका क्रमांक 1 मृतक की विधवा पत्नी और आवेदक क्रमांक 2 व 3 नावालिग पुत्रियाँ हैं एवं आवेदिका क्रमांक 4 मृतक की माँ एवं आवेदक क्रमांक 5 मृतक का पिता है। मृतक पर आश्रितों का जहाँ तक प्रश्न है, मृतक पर उसकी विधवा पत्नी, पुत्रियाँ एवं माँ आश्रित होनी मानी जा सकती है। किन्तु पिता जो कि 55 साल के है वह किस प्रकार से मृतक पर आश्रित थे इस आशय का कोई साक्ष्य नहीं है। ऐसी दशा में पिता आवेदक क्रमांक 5 को मृतक पर आश्रित होना नहीं माना जा सकता। इस प्रकार मृतक के वारिसों में उसकी पत्नी आवेदिका क्रमांक 1, नावालिग पुत्रियाँ आवेदिका क्रमांक 2 व 3 एवं उसकी माँ आवेदिका क्रमांक 4 मानी जाएगी।

35. दुर्घटना के समय मृतक सुनील की उम्र का जहाँ तक प्रश्न है। आवेदिका भगवानदेवी ने उसकी उम्र दुर्घटना के समय 31 साल की होनी बताई है। उम्र के संबंध में कोई दस्तावेजी प्रमाण पेश नहीं है। आवेदक पक्ष के द्वारा प्रस्तुत नक्शा पंचनामा प्र.पी. 1 एवं शव परीक्षण आवेदनपत्र प्र.पी. 2 में मृतक की उम्र 35 वर्ष उल्लेखित है। ऐसी दशा में जबकि उम्र के संबंध में कोई दस्तावेजी प्रमाण पेश नहीं है। मृतक सुनील की उम्र दुर्घटना के समय 35 वर्ष की होनी अवधारित की जाती है।

36. मृतक राकेश की दुर्घटना के समय आमंदनी का जहाँ तक प्रश्न है। इस संबंध में बिन्दु क्रमांक 2 पर निकाले गए निष्कर्ष से उसकी आमंदनी आवेदक पक्ष के द्वारा 15,000/- रुपए मासिक होनी बताई गई थी वह प्रमाणित नहीं है। मृतक की कोई निश्चित आमंदनी का स्त्रोत अथवा आमंदनी का तथ्य प्रमाणित नहीं है। किन्तु निश्चित तौर से मृतक जो कि नवयुवक है, मजदूरी आदि कर के आमंदनी अर्जित कर सकता था जो कि 3200/- रुपए प्रति माह की आमंदनी वह अर्जित कर सकता था ऐसा माना जा सकता है। मृतक पर आश्रितों की संख्या चार है। इस परिप्रेक्ष्य में अपनी आमंदनी का  $1/4$  भाग स्वयं पर व्यय करेगा, माना जा सकता है। इस प्रकार आमंदनी के नुकसान के मद में  $3200 \times 1/4 = 800/-$  रुपए यानी  $3200 - 800 = 2400/-$  रुपए प्रतिमाह जो कि प्रति वर्ष  $2400 \times 12 = 28,800/-$  रुपए होगा। जिस पर मृतक की उम्र के अनुसार जो कि 35 वर्ष की होनी दुर्घटना के समय पाई गई है। उक्त राशि में 16 का गुणांक लगेगा। जो कि कुल राशि  $28,800 \times 16 = 4,60,800/-$  रुपए होगा। इसके अतिरिक्त मृतक के अंतिम संस्कार के खर्च के रूप में 20,000/- रुपए तथा आवेदिका क्रमांक 1 जिसके कि पति की मृत्यु हुई है उसे सहचर्य के नुकसान के मद में 50,000/- रुपए प्रतिकर स्वरूप दिलाया जाना उचित होगा। इस प्रकार कुल प्रतिकर की राशि 5,30,800/- रुपए निर्धारित की जाती है। जहाँ तक उपरोक्त



निर्धारित की गए प्रतिकर की राशि की अदायगी का प्रश्न है। वादप्रश्न क्रमांक 1 पर निकाले गए निष्कर्ष के आधार पर दुर्घटना प्रश्नाधीन वाहन बुलेरो जीप क्रमांक एच.आर. 26 आर. 0625 से होनी प्रमाणित नहीं पाई गई है, बल्कि किसी अज्ञात वाहन से दुर्घटना घटित हुई है। ऐसी दशा में उक्त बुलेरो जीप के चालक, मालिक अथवा बीमा कम्पनी पर प्रतिकर अदायगी का कोई दायित्व नहीं डाला जा सकता। उक्त परिप्रक्ष्य में आवेदकगण वर्तमान अनावेदकगण से कोई भी प्रतिकर की राशि प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। तदनुसार वर्तमान बिन्दु का निराकरण किया जाता है।

**क्लेम प्र0क0 24/14 का बिन्दु क. 5 :-**

37. मृतक मुकेश कुशवाह की मृत्यु मोटरयान दुर्घटना जो कि किसी अज्ञात वाहन के टक्कर मारने के फलस्वरूप होना बिन्दु क्रमांक 1 पर निकाले गए निष्कर्ष में पाया गया है। उसकी मृत्यु किसी मोटरयान दुर्घटना में होने से प्रतिकर की राशि निर्धारित की जानी उचित होगी। यद्यपि उसके दायित्वों प्रश्न अलग प्रश्न है।

38. मृतक मुकेश की मृत्यु के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली प्रतिकर की राशि का जहाँ तक प्रश्न है। आवेदिका क्रमांक 1 मृतक की विधवा पत्नी और आवेदिका क्रमांक 2 मृतक की माँ एवं आवेदक क्रमांक 3 मृतक का पिता है। मृतक पर आश्रितों का जहाँ तक प्रश्न है, मृतक पर उसकी विधवा पत्नी शांतिदेवी एवं माँ श्रीमती भागवती आश्रित होनी मानी जा सकती है। किन्तु पिता शेरसिंह आवेदक क्रमांक 3 जो कि 50 साल के है वह किस प्रकार से मृतक पर आश्रित थे इस आशय का कोई साक्ष्य नहीं है। ऐसी दशा में पिता आवेदक क्रमांक 3 को मृतक पर आश्रित होना नहीं माना जा सकता। इस प्रकार मृतक के वारिसों में उसकी पत्नी आवेदिका क्रमांक 1, आवेदिका क्रमांक 2 उसकी माँ मानी जाएगी।

39. दुर्घटना के समय मृतक मुकेश की उम्र का जहाँ तक प्रश्न है। आवेदिका शांती बाई ने उसकी उम्र दुर्घटना के समय 25 वर्ष की होनी बताई है। उम्र के संबंध में कोई दस्तावेजी प्रमाण पेश नहीं है। किन्तु इस संबंध में शव परीक्षण आवेदन तथा नक्शा पंचायतनामा में मृतक की उम्र 25 वर्ष की होनी उल्लेखित है। इस प्रकार दुर्घटना के समय मृतक की उम्र 25 साल की होनी अभिधारित की जाती है।

40. मृतक मुकेश की दुर्घटना के समय आमंदनी का जहाँ तक प्रश्न है। इस संबंध में बिन्दु क्रमांक 2 पर निकाले गए निष्कर्ष से उसकी आमंदनी आवेदक पक्ष के द्वारा 15,000/- रुपए मासिक होनी बताई गई थी वह प्रमाणित नहीं है। मृतक की कोई निश्चित आमंदनी का स्रोत अथवा आमंदनी का तथ्य प्रमाणित नहीं है। किन्तु निश्चित तौर से मृतक जो कि नवयुवक है, मजदूरी आदि कर के आमंदनी अर्जित कर सकता था जो कि

3200/- रूपए प्रति माह की आमंदनी वह अर्जित कर सकता था ऐसा माना जा सकता है। मृतक पर आश्रितों की संख्या दो है। इस परिप्रेक्ष्य में अपनी आमंदनी का  $1/3$  भाग स्वयं पर व्यय करेगा, माना जा सकता है। इस प्रकार आमंदनी के नुकसान के मद में  $3200 \times 1/3 = 1066.66/-$  रूपए होगी जो कि राउण्ड फिगर में 1070/-रूपए होगी यानी  $3200-1070 = 2130/-$  रूपए प्रतिमाह जो कि प्रति वर्ष  $2130 \times 12 = 25,560/-$ रूपए होगा। जिस पर मृतक की उम्र के अनुसार जो कि 25 वर्ष की होनी दुर्घटना के समय पाई गई है। उक्त राशि में 18 का गुणांक लगेगा। जो कि कुल राशि  $25,560 \times 18 = 4,60,080/-$ रूपए होगा। इसके अतिरिक्त अंतिम संस्कार के खर्च के रूप में 20,000/- रूपए तथा आवेदिका क्रमांक 1 जिसके कि पति की मृत्यु हुई है उसे सहचर्य के नुकसान के मद में 50,000/- रूपए प्रतिकर स्वरूप दिलाया जाना उचित होगा। इस प्रकार कुल प्रतिकर की राशि 5,30,080/- रूपए निर्धारित की जाती है।

41. जहाँ तक उपरोक्त निर्धारित की गए प्रतिकर की राशि की अदायगी का प्रश्न है। वादप्रश्न क्रमांक 1 पर निकाले गए निष्कर्ष के आधार पर दुर्घटना प्रश्नाधीन वाहन बुलेरो जीप क्रमांक एच.आर. 26 आर. 0625 से होनी प्रमाणित नहीं पाई गई है, बल्कि किसी अज्ञात वाहन से दुर्घटना घटित हुई है। ऐसी दशा में उक्त बुलेरो जीप के चालक, मालिक अथवा बीमा कम्पनी पर प्रतिकर अदायगी का कोई दायित्व नहीं डाला जा सकता। उक्त परिप्रेक्ष्य में आवेदकगण वर्तमान अनावेदकगण से कोई भी प्रतिकर की राशि प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। तदनुसार वर्तमान बिन्दु का निराकरण किया जाता है।

### **क्लेम प्र0क0 22/14 का बिन्दु क. 6 :-**

42. वर्तमान क्लेम आवेदनपत्र जो कि आवेदकगण के द्वारा अनावेदकगण के विरुद्ध इस अधिकरण के समक्ष पेश किया गया है। आवेदकगण ग्राम रशीदपुर थाना विजौली जिला ग्वालियर के निवासी होना बताया गया है। उक्त दुर्घटना पुरानी छावनी ग्वालियर क्षेत्र में घटित होनी बताई गई है तथा अनावेदकगण भी इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं रहते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कम्पनी के द्वारा यह आधार लिया गा है कि क्लेम प्रकरण के क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नहीं है। इस कारण भी कोई क्षतिपूर्ति अधिकरण के द्वारा नहीं दिलाई जा सकती है।

43. उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदकगण ग्राम रशीद पुर थाना विजौली के स्थाई निवासी होना बताए गए हैं। हाल मुकाम ग्राम धमसा थाना गोहद होना बताया गया है, किन्तु इस संबंध में कि वह ग्राम धमसा थाना

गोहद में रह रहे हैं कोई भी प्रमाण पेश नहीं किया गया है। मात्र आवेदनपत्र और शपथपत्र में इस बात का उल्लेख करने से कि उनका हाल मुकाम ग्राम धमसा थाना गोहद है, जबकि उनके ग्राम धमसा में निवासरत होने या व्यवसाय में होने बावत् कोई प्रमाण पेश नहीं है। अतः उनका ग्राम धमसा का निवासी होना मानते हुए उनकी याचिका स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। ऐसी दशा में जबकि न तो आवेदकगण इस अधिकरण के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत निवास या व्यवसाय कर रहे हैं और न ही दुर्घटना इस अधिकरण के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत हुई है तथा न ही अनावेदकगण गोहद क्षेत्र में निवास करते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में इस अधिकरण को सुनवाई का क्षेत्राधिकार भी न होने से कोई सहायता आवेदकगण को प्रदान नहीं की जा सकती।

44. तदनुसार दुर्घटना जिसमें कि राकेश की मृत्यु हुई है, वह बुलेरो जीप क्रमांक एच.आर. 26 आर. 0625 से घटित होना प्रमाणित न होने तथा याचिका न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सुनवाई योग्य न होने के परिप्रेक्ष्य में याचिका निरस्त की जाती है।

#### **क्लेम प्र0क0 23/14 का बिन्दु क. 6 :-**

45. प्रकरण में उपरोक्त विवेचना एवं विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में तथा बिन्दुओं पर निकाले गए निष्कर्ष के आलोक में जबकि दुर्घटना जिसमें कि सुनील कुशवाह की मृत्यु हुई है वह किसी अज्ञात वाहन से घटित हुई है। दुर्घटना अनावेदक क्रमांक 1 के द्वारा बुलेरो जीप क्रमांक एच.आर. 26 आर. 0625 से घटित होना प्रमाणित नहीं है। ऐसी दशा में आवेदकगण अनावेदकगण से क्षतिपूर्ति के रूप में कोई भी राशि प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं। तदनुसार आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत क्लेम याचिका निरस्त की जाती है।

#### **क्लेम प्र0क0 24/14 का बिन्दु क. 6 :-**

46. वर्तमान क्लेम आवेदनपत्र जो कि आवेदकगण के द्वारा अनावेदकगण के विरुद्ध इस अधिकरण के समक्ष पेश किया गया है। आवेदकगण ग्राम रशीदपुर थाना विजौली जिला ग्वालियर के निवासी होना बताया गया है। उक्त दुर्घटना पुरानी छावनी ग्वालियर क्षेत्र में घटित होनी बताई गई है तथा अनावेदकगण भी इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं रहते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कम्पनी के द्वारा यह आधार लिया गा है कि क्लेम प्रकरण के क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नहीं है। इस कारण भी कोई क्षतिपूर्ति अधिकरण के द्वारा नहीं दिलाई जा सकती है।

47. उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदकगण ग्राम रशीद पुर थाना विजौली के स्थाई निवासी होना बताए गए हैं। हाल मुकाम

ग्राम धमसा थाना गोहद होना बताया गया है, किन्तु इस संबंध में कि वह ग्राम धमसा थाना गोहद में रह रहे हैं कोई भी प्रमाण पेश नहीं किया गया है। मात्र आवेदनपत्र और शपथपत्र में इस बात का उल्लेखित करने से कि उनका हाल मुकाम ग्राम धमसा थाना गोहद है, जबकि उनके ग्राम धमसा में निवासरत होने या व्यवसाय में होने बावत् कोई प्रमाण पेश नहीं है। अतः उनका ग्राम धमसा का निवासी होना मानते हुए उनकी याचिका स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। ऐसी दशा में जबकि न तो आवेदकगण इस अधिकरण के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत निवास या व्यवसाय कर रहे हैं और न ही दुर्घटना इस अधिकरण के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत हुई है तथा न ही अनावेदकगण गोहद क्षेत्र में निवास करते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में इस अधिकरण को सुनवाई का क्षेत्राधिकार भी न होने से कोई सहायता आवेदकगण को प्रदान नहीं की जा सकती।

48. तदनुसार दुर्घटना जिसमें कि मुकेश की मृत्यु हुई है, वह बुलेरो जीप क्रमांक एच.आर. 26 आर. 0625 से घटित होना प्रमाणित न होने तथा याचिका न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सुनवाई योग्य न होने के परिप्रेक्ष्य में याचिका निरस्त की जाती है।

उपर्युक्त अनुसार व्ययतालिका तैयार की जावे।

अधिनिर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित

हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

(डी०सी०थपलियाल)  
अति०मोटर दुर्घटना दावा अधि०  
गोहद जिला भिण्ड

(डी०सी०थपलियाल)  
अति०मोटर दुर्घटना दावा अधि०  
गोहद जिला भिण्ड